	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) अमित कुमार मुण्डा, (2.) अरुण कुमार मुण्डा, (3.) अरविन्द मुण्डा तीनों के पिता भुनेश्वर तिर्की (भुनेश्वर मुण्डा), निवास स्थान ग्राम–कोर्रा, पोस्ट–कोर्रा, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–जबरा, थाना नं0–154, खाता संख्या–07 प्लॉट संख्या–699 रकवा–0.0725 एकड़ (7.25 डिसमिल) (सात दशमलव दो पाँच डिसमिल) भूमि लिली नाग पति रॉबर्ट रुण्डा, निवास स्थान कोर्रा, पोस्ट–कोर्रा, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-13/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 59/रा0 दिनांक 06.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2015 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत कलपु उराँव हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.49 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.7950 एकड़ भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या–6/I पर ऑनलाईन में कारु मुण्डा के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 0.7225 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई ... टिप्पणी ...
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) अमित कुमार मुण्डा, (2.) अरूण कुमार मुण्डा, (3.) अरविन्द मुण्डा तीनों के पिता भुनेश्वर तिर्की (भुनेश्वर मुण्डा), निवास स्थान ग्राम-कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-07 प्लॉट संख्या-699 रकवा-0.0725 एकड़ (7.25 डिसमिल) (सात दशमलव दो पाँच डिसमिल) भूमि लिली नाग पति रॉबर्ट रूण्डा, निवास स्थान कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.19 12:41:56 +05:30
Location: 192.168.56.186